

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ

प्रकरण संख्या 106/2022

उनवान

श्री नारायण शो. उ. प. ल. ल. बनाम श्री शु. ल. ल. ल. शो. ल. ल.
अहीर सि. तलवाणा अहीर सि. तलवाणा
तह हमीरगढ जिला अहिवाडा तह हमीरगढ

धारा प्रा. पत्र 212 H.G.Pc प्रा०पत्र/राजस्व वाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18/7/22	<p>बाद जाँच वाद/प्रार्थना पत्र/ईजराय/अपील पेश हुई, दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणों को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक <u>26/7/22</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">3 उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ</p> <p>26/7/22 पत्रावली पेश हुयी उमयपत्र ... पीठासीन अधिकारी भन्वा कार्य में व्यस्त/ अवकाश में है, पत्रावली साविक आदेश में दिनांक <u>26/7/22</u> को पेश हो</p>	
5/8/22	<p>पत्रावली आज पत्रावली अहिवाडा के प्रा. पत्र पर आज पत्रावली तलवा सि. उ. प. उपखण्ड में पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः को अनुमति व दिली व के सौ अनुमति व दिली व मापवली अनुमति व दिली व पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः</p>	<p>विपक्षीगणों को अहिवाडा में उपस्थित हुए पुनः पुनः पुनः</p>

अप्राप्तिका का पेंचपन हेतु
 समहल ही जलने से अंतरकारण
 तद को रोक जाकर निवारा
 किया जाना आवश्यक है
 उक्त मतमान प्रकार को
 लोक अदालत की मातना
 से आका ही सिमह से तलाब
 परमाया जाकर विद्वो करने
 के आका उक्त परमाया
 अर्थ के प्रा-परा अलीकार
 किया जाकर प्रकार अली
 अंतर पर शीप किये जाने कि
 अका करी कि जाती है
 पत्रावली केरल अमुम हीकर
 कारिल करार है।

उपखण्ड अधिकारी
 हकीमत